न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-8/2018

1- रूडा पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ढाणी घाटमदास वाली के पास तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

2- कोयली पुत्री जोधाराम पत्नी भवानाराम

3- अणाची पुत्री जोधाराम पत्नी नाथूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी घाटमदासवाली के पास तन ग्राम रतनपुरा हाल निवासी ढाणी सामोतावाली तन ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्टस--

---बनाम---

1-भागीरथ पुत्र कानाराम
2-अर्जुन पुत्र कानाराम
3-झाबर पुत्र कानाराम
4-राधा पुत्री कानाराम
5-सुखली पुत्री कानाराम
6-ग्यारसी पुत्री कानाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण नदीवाली तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

7- बनवारीलाल पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ढाणी घाटमदास तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

8- दाफली पुत्री जोधाराम जाति जाट निवासी ढाणी घाटमदास वाली के पास तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल ढाणी मेहतावाली के पास तन मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

9- माली बेवा नाथूराम पुत्रवधु जोधाराम
10-गोपाल पुत्र नाथूराम पौत्र जोधाराम
11-सागर पुत्र नाथूराम पौत्र जोधाराम
12-कालु पुत्र नाथूराम पौत्र जोधाराम

समस्त जाति जाट निवासी घाटमदासवाली के पास तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिलासीकर ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13- तुरजी बेवा बालू
14- शिवपाल पुत्र बालू
15- संती पुत्री बालू
16- मनभरी बेवा भगवाना

जाति जाट निवासीगण ढाणी केरली तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

17-उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

18-पटवारी हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

19-नम्बरदार होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

20-शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0(एसबीआई) शाखा श्रीमाधोपुर ।

21-शाखा प्रबन्धक बीआरकेजीबी बैंक शाखा नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

22-प्रभाती पुत्री गुल्ला पत्नी गणेश जाति जाट हाल निवासी ढाणी श्यामसिंहवाली तन ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

23-छोटी पुत्री गुल्ला पत्नी नारायण जाति जाट हाल निवासी ढाणी नाडावाली तन ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्ट्स---

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री
दिनांक 5-12-2017 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री नोपाराम जांगिड एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 6 ने अदालत मातहत में दावा बाबत ईस्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि आराजी पुराने खसरा

नं0-778 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 797 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 799 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 800 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0-813 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता-7 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 1027/1 रकबा 0.25 हैक्टर, ख0नं0 1055/1 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 1056 रकबा 1.07 हैक्टर, ख0नं01057 रकबा 1.13 हैक्टर ख0नं0 3604/1 रकबा 0.19 हैक्टर, ख0नं0 3618 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नं0 3752 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 3768/1 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 3.47 हैक्टर एवं भूमि ख0नं0 1027/2 रकबा 5.06 हैक्टर, ख0नं0 1055/2 रकबा 1.94 हैक्टर कुल किता-2 कुल रकबा 7.00 हैक्टर तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसकी नवीन खाते- -दारी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो गलत है । वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है जो गुल्ला पुत्र दौला के वारिस है। उक्त आराजी वादीगण के दादा गुल्ला के नाम खातेदारी में दर्ज थी । गुल्ला की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण बाला बाला कर्मचारियों से साजिश कर वादीगण के पिता काना का बिना बताये बिना सुने प्रतिवादीगण सं0-1 से 13 एवं तरतीबी पक्षकार 19 व 20 के मृतक पिता/पति जोधाराम, बालूराम, भगवाना ने अपने नाम भरवा लिया । जिससे वादीगण पाबन्द नहीं है । तथा उक्त नामान्तरकरण वादीगण के अधिकारों पर शून्य एवं प्रभावहीन है । जोधाराम, बालूराम, भगवान के देहान्त के बाद उक्त आराजी उनके वारिसान प्रतिवादी सं0-1 से 13 का वादीगण के हक हिस्से में कोई कानूनी अधिकार नहीं है । उक्त विवादित आराजी में वादीगण के पिता कानाराम का 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0-1 से 9 के पिता/पति/ससुर/दादा जोधाराम का , 1/4 हि0 प्रतिवादी सं0- 10 से 12 के पिता/पति बालू का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 13 का है । कानाराम का देहान्त होने पर वादीगण अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी स्वयं के नाम दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी है। विवादित आराजी

पैत्रिक होने से वादीगण का 1/4 हिस्सा है ।जिसपर वो काबिज काश्तकार दर्ज है ।विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वाह इस आराजी को बेचान अन्तरण करने व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। इस आराजी में 1/4 हिस्सा वादीगण का है । अतः दावा स्वीकार कर 1/4 हिस्से का वादीगण को, 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं0-1 से 8 को, 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं0-10 से 12 एवं 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं0-13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । तथा वादीगण के 1/4 हिस्से से प्रतिवादी सं0-1 से 13 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे । अदालत मातहत ने वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण को जारी सम्मनों की तामिल विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं करवाई तथा फर्जी रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया है ।जिस में प्रतिवादीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ।तामिल कुनिन्दा कभी अपीलान्ट के नोटिस लेकर उनके घर पर नहीं गया ।वादीगण ने तामिल कुनिन्दा से साज करके अपीलान्ट की तामिल चस्पांदगी से करवाई है ।अपीलान्ट सं0-2 व 3 अपने पीहर में नहीं रहती किन्तु इनकी तामिल भी चस्पांदगी से पीहर के पते पर करवाई है ।इनके ससुराल का पता नहीं है ।सम्मन पर पीहर का पता है । जबकि इनकी तामिल ससुराल के पते से करवानी चाहिये थी ।अपीलान्ट की अदालत मातहत में विधिवत तामिल नहीं होने से अदालत मातहत में अपीलान्ट उपस्थित नहीं हो सके अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला ।अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है ।तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की कि अपीलान्ट तामिल से बच रहे हैं ।अदालत मातहत ने भी आदेश- 5 नियम-20सीपीसी के तहत समाप-

--न्दगी के भी कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया है ।वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0था-1 से 6 का पिता कानाराम अपने जायन्दा पिता गुला के समय खींवा राम के गोद चला गया था ।वादग्रस्त भूमिया गुला की मृत्यु के बाद वैध रूप से उसके शेष तीन पुत्र जोधाराम, बालू व भगवानाराम न्यायागत हो गयी तथा वाद ग्रस्त भूमियां गुला की मृत्यु के बाद वैध रूप से उसके शेष तीन पुत्र जोधाराम बालू व भगवानाराम में न्यायगत हो गयी तथा उसके बाद बालू भगवानाराम व जोधाराम के वारिसों ने आपस में वादग्स्त भूमियों का बंटवारा मु0नं0 613/1990 बउनवानी नाथूराम बनाम भगवाना में कर लिया था । इस प्रकार गुला के पुत्रों ने उक्त आराजी का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज थे । वादीगण का इस आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं था। किन्तु अदालत मातहत में वादीगण ने साजिश के तौर पर अपीलान्ट की फर्जी तामिल करवाकर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया । दावे में सजरा खानदान भी गलत पेश किया है ।वादीगण का पिता कानाराम खींवाराम के गोद जांना अंकित नहीं किया । जबकि कानाराम खींवाराम का गोद पुत्र है ।अदालत मातहत में झूठे शपथ पत्र पेश किये है जिनके आधार पर अदालत मातहत ने बिना आधार के निर्णय परित किया है ।वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत दावा की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं होने दी तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को छिपाये रखा है तथा बाला बाला ही निर्णय के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करवा लिया ।जिसकी जानकारी अपीलान्ट संख्या-1 अपनी खातेदारी की भूमि की नकल लेने के लिये पटवारी हल्का के पास गया तब अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई । छ जानकारी होते ही अपीलान्ट ने यह अपील पेश की। अत: अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की सुनी गयी ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल बतौर साजशी रेस्पोडेन्ट ने तामिल कुनिन्दा से साज कर करवाई गई है ।अपीलांट की तामिल सम्यक रूप से नहीं हुई है ।अपीलान्ट संख्या- 2 व 3 अपने पीहर में नहीं रहती वह अपने ससुराल में रहती है किन्तु उनकी तामिल भी वादीगण ने पीहर के पते पर करवाई जिसे अदालत मातहत ने तामिल में मानकर निर्णय पारित किया जो विधि के विपरित है । तामिल कुनिन्दा ने अपीलान्ट के नोटिस में लिख दिया घर पर मौजूद नहीं मिले नोटिस की एक प्रति खुल्ले मकान पर चस्पा की गई । अदालत मातहत ने इसे तामिल मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट तामिल लेने से बचता तो अदालत मातहत को आदेश-5 नियम-20 सीपीसी के तहत चस्पांदगी के आदेश दिये जाने के बाद ही नोटिस चस्पा किये जाते और उसके बाद ही अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है । किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । इसके समर्थन में कानूनी नजीर आरआरडी जुलाई 2007 पेज 463, आरआरडी 14-10-2010 पेज 647, आरबीजे 2016 पेज- 313 पेश की जिनमें स्पष्ट किया गया है । चस्पांदगी के आदेश न्यायालय द्वारा दिये जाने के बाद ही चस्पांदगी के आदेश किये जाने पर चस्पा होने पर ही तामिल मानी जावे किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में चस्पांदगी के कोई आदेश नहीं दिये गये है। एकतरफा आदेश जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी चाहे तो अदालत मातहत में आदेश-9 नियम-13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है अथवा वह चाहे तो अपील भी कर सकता है । अपील में यह नहीं है कि उसकी तामिल को नहीं देखा जावेगा ।अपीलान्ट की

तामिल को अपील में भी देखा जावेगा ।अपीलान्ट सं0-2 व 3 व रेस्पोडेन्ट सं0-8 ने अपने हिस्से का समोचन किया है। विवादित आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 6 का कोई हक हिस्सा नहीं है ना ही उसका विवादित आराजी पर कोई कब्जा है ।विवादित आराजी को मु0नं0 613/1990 उनवान नाथूराम बनाम भगवाना में बालू, भगवानाराम व जोधाराम के वारिसान ने बंटवारा करवाकर मौके पर काबिज है । विवादित आराजी से रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 6 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । किन्तु रेस्पोडेन्ट ने प्रतिवादी अपीलान्ट की तामिल फर्जी तौर पर करवाकर उक्त आराजी में गलत रूप से निर्णय करवाकर हक हिस्सा लिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । विवादित आराजीहमारे दादा गुल्ला की खातेदारी में दर्ज थी। जिसके चार पुत्र जोधाराम कानाराम, बालू व भगवाना राम थे । इस प्रकार गुल्ला की खातेदारी उसके चारों पुत्रों के नाम 1/4, 1/4 दर्ज होनी चाहिये थी । किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलान्ट ने जानबूझकर गुल्ला की खातेदारी भूमि में हमारे पिता काना का नाम दर्ज नहीं करवाया और जोधाराम, बालू व भगवानाराम के नाम ही आराजी का नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जो गलत है । जबकि विवादित आराजी गुल्ला की खातेदारी में होने से पैतृक आराजी है जिसमें गुल्लाराम के सभी वारिसों का हिस्सा है । किन्तु अपीलान्टस्/प्रतिवादीगण ने जानबुझकर हमारे पिता का नाम छोड दिया ।अदालत मातहत ने गुल्ला की खातेदारी में से 1/4 हिस्सा की खातेदारी हमारे नाम दर्ज की है जिसमें अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । अपीलान्टस्/प्रतिवादीगण को अदालत मातहत में सम्मन जारी किये गये ।अदालत मातहत में इनके हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है ।अपीलान्ट को एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध अदालत मातहत में ही आदेश-9 नियम-13

थी ।उस प्रार्थना पत्र में ही अपीलान्ट की तामिल के बारे में विचार किया जा सकता था । अपीलान्ट का यह कथन सही है कि वह इस आदेश के विरूद्व अपील भी कर सकता है और आदेश-9 नियम-13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश कर सकता है । किन्तु अपील में यह नहीं देखा जावेगा कि अपीलान्ट/प्रतिवादी की तामिल विधिक अथवा समूचित हुई अथवा नहीं । इस अपील में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जावेगा ।इस प्रकार अपील एवं प्रार्थना पत्र का अधिकार भिन्न भिन्न है । प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी में तामिल के सम्बन्ध में तथा अपील में प्रकरण के गुणावगुण पर ही निर्णय किया जावेगा ।विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने इस सम्बन्ध में कानूनी नजीर आरआरडी 1994 पेज-620 आरआरडी-1999 पेज-105, आरआरडी 2010 पेज-415, आरआरडी 2008 पेज-83, आरआरडी 2007 पेज-288, 899, आरआरडी 1992 पेज 608 एवं आरआरडी 2002 पेज 372 प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया की प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपील में तामिल पर कोई गौर न कर केवल अपील के गुणावगुण पर निर्णय किया जावे ।विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट/वादीगण के दादा की खातेदारी की है जिसमें वादीगण के पिता/पति कानाराम का 1/4 हिस्सा है। जिसका हमें खातेदार घोषित किया है ।जिसमें अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2073-2074 प्रदर्श-2 में जमाबन्दी के अनुसार ख0नं0 1027/1, 1055/1, 1056, 1057, 3604/1, 3618/1, 3752, 3768/1 कुल किता-8 रकबा 3.47 हैक्टर की खातेदारी नाथुराम, रूडाराम, बनवारी पि0 जोधा के नाम तथा ख0नं0 1027/2, 1055/2 कुल किता-2 रकबा 7.00 हैक्टर की खातेदारी भगवाना पुत्र गुल्ला हि0 1/3, बिलराम शिवपाल पुत्र बालुराम हि0 1/3; शिवपाल पुत्र बालु हि0 1/3 के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3 का अवलोकन किया गया ।प्रदर्श-4 नामान्तरकरण संख्या-43 में विवादित

आराजी गुल्लाराम पुत्र दोला के फौत होने पर विरासत के आधार पर जोधा, बाल्या, भगवाना बेवा गुल्ला के नाम तस्दीक किया गया है ।इस नामान्तरकरण के आधार पर प्रदर्श-5 जमाबन्दी सं0-2029 से 2032 में अमलदरामद हुआ है ।यह अंकन प्रदर्श-6 व 7 में दर्ज रहा ।गुला के फौत होने पर नामान्तरकरण सं0-43 दिनांक 11-12-1960 को तस्दीक किया । वादीगण(कानाराम के पुत्र/पुत्री) ने दावा दिनांक 9-5-2017 में पेश किए किया जो नामान्तरकरण तस्दीक होने के 57 वर्ष बाद यह दावा पेश किया । कानाराम ने अपने जीवनकाल में इस नामान्तरकरण से बने राजस्व रेकार्ड को चैलेन्ज नहीं किया ।वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने दावा पेश किया । उसमें अपीलान्ट के नोटिस की तामिल पर रिपोर्ट आई" प्रार्थी घर पर मौजूद नहीं मिला/मिली उसके000 बच्चे/पत्नी, पति,जेठ मौजूद मिले नोटिस लेने से इन्कार किया ।खुल्ले मकान पर चस्पा किया । दो गवाहों के हस्ताक्षर किये ।यह नोटिस दिनांक 14-11-2017 को आगामी पेशी दिनांक 23-11-2017 के लिये जारी किये किन्तु किस दिनांक को तामिल करवाये गये पुश्त पर नहीं लिखा हुआ किन्तु यह मान लिया जावे कि दि0 14-11-2017 से 23-11-2017 के मध्य में तामिल करवाई गई है तो भी अदालत मातहत को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही तामिल के दिनांक से 30 दिन निकलने के बाद ही एकपक्षीय कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु अदालत मातहत ने 7 दिन के बाद ही एकतरफा कार्यवाही कर उसी दिन आदेश पारित कर दिया । अपील पेश होने पर गुणावगुण के बिन्दू के साथ इस बिन्दू को भी अपील में दखा जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित है । अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की तामिल चस्पांदगी से 0000 करवाये जाने के भी कोई आदेश नहीं दिये है । विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों में यह स्पष्ट किया गया है कि अपील में तामिल प्रक्रिया पर कोई गौर न कर केवल गुणावगुण पर ही निर्णय किया जावेगा । तामिल के सम्बन्ध में तो अपीलान्ट को अदालत

चाहिये था। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों से यह स्पष्ट है किन्तु विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों में यह स्पष्ट किया गया है कि तामिल विधिक प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिये उस सूरत में ही अपील में तामिल के बिन्दू को नहीं देखा जावेगा ।प्रस्तुत दावे में तामिल विधिक प्रक्रिया को बिना अपनाये करवाई गई ।अदालत मातहत में चस्पांदगी से तामिल के आदेश नहीं है तथा वादीगण की तामिल को भी अपील स्तर पर देखा जाना आवश्यक है क्योंकि वादीगण ने यह दावा 57 वर्ष बाद पेश किया जबकि नामान्तरकरण संख्या-43 में दिनांक 11-12-1960 को ही विवादित आराजी का विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जिसको वादी गण के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई चुनौती नहीं दी ।अतः हम यह उचित मानते हैं कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना उचित एवं विधिक मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय का एंव डिक्री दिनांक 5-12-2017 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।पक्षकार योग्य अदालत मातहत में दिनांक 27-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.7.2018 को सुनाया गया ।

31/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्धन अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
करौली